

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-अष्टम्, सुपौल।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-758/2026

राघोपुर थाना कांड संख्या-149/2026

1. मो० कामिल उर्फ कामिल खान, पिता-मो० मिकीम खान, साकिन-सौराजान मकतब चौक, वार्ड नं०-11, थाना-प्रतापगंज, जिला-सुपौल.....आवेदक।
बिहार राज्य.....बनाम्.....विपक्षी।

09.07.2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त यथा मो० कामिल उर्फ कामिल खान की ओर से दाखिल किया गया है, जो कि राघोपुर थाना कांड संख्या-149/2026 अंतर्गत धारा-25(1-b)a/26/35 आर्म्स एक्ट के अधीन दर्ज काण्ड में गिरफ्तारी के भय से आशंकित है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक मो० रजी अहमद एवं आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कांत झा को सुना।

आवेदक अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन के पूर्व कोई जमानत आवेदन न तो विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से एक आपराधिक इतिहास जी०आर०-226/2023 अंतर्गत धारा-341, 323, 506, 34 भा०दं०वि० न्यायालय में लंबित है, इसके अतिरिक्त आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त पर लगाया गया आरोप सर्वथा गलत है तथा इस तरह के किसी भी अपराध में आवेदक अभियुक्त की कोई संलिप्तता नहीं रही है। प्रस्तुत वाद में गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा एक कहानी बनाकर आवेदक अभियुक्त को फंसाने की कोशिश की गई है, जबकि उसके कथन का कोई कानूनी महत्व नहीं है। आवेदक अभियुक्त के कब्जे से किसी प्रकार का कोई आग्नेयास्त्र की बरामदगी नहीं है। आवेदक अभियुक्त की किसी प्रकार की संलिप्ता पायी जाती, तो पुलिस आवेदक अभियुक्त को धारा-35(C) बी०एन०एस०एस० के तहत नोटिश जारी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। आवेदक अभियुक्त एक सामान्य किसान है तथा गांव में रहकर खेती-बाड़ी एवं मजदूरी करता है। आवेदक अभियुक्त धारा-482(2) बी०एन०एस०एस० में दिये गये सभी प्रावधानों का पालन करने को तैयार है। आवेदक अभियुक्त श्रीमान् के आदेशानुसार बंध-पत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

आवेदक अभियुक्त, सूचक पु०अ०नि० अमित कुमार के टंकित आवेदन के आधार पर संस्थित राघोपुर थाना कांड संख्या-149/2026 अंतर्गत धारा-25(1-b)a/26/35 आर्म्स एक्ट के प्राथमिकी अभियुक्त हैं। प्राथमिकी के अनुसार सूचक का आरोप है कि दिनांक-24.04.2026 को समय 20:10 बजे सूचना मिली कि शाहंसाह एवं मो० क्यामुल अवैध हथियार की तस्करी करते हुए तथा अवैध हथियार जिला मुंगेर से मंगवाकर बेचा करते हैं। उक्त सूचना को वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए पु०अ०नि० अमिय प्रसून, पु०अ०नि० राजु कुमार, मुकुल आजाद, पु०अ०नि० स्वीटी कुमारी साथ सशस्त्र बल के सि०-165 बिहारी कुमारी, सिंह०-175 कृष्णा कुमार के साथ सत्यापन कर शाहंसाह को सिमराही पेट्रोल पम्प के सामने मुख्य सड़क पर से पूछताछ हेतु अभिरक्षा में लेते हुए इसके मोबाईल से मो०

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-अष्टम्, सुपौल।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-758/2026

राघोपुर थाना कांड संख्या-149/2026

क्यामुल को बुलाया, तो मो० क्यामुल, मो० लाल के घर आया तथा मो० क्यामुल को सिमराही हटिया के पास मो० लाल के घर से पूछताछ हेतु अभिरक्षा में लेते हुए पूछताछ किया, तो इन्होंने बताया कि दिनांक-23.04.2026 को गद्दी चौक पर स्थित बाबुल के मोटरसाईकिल दुकान पर गद्दी चौक का परवेज एवं मेराज द्वारा एक झोला दिया गया, जिसमें अवैध देशी हथियार था, जिसे मकतब चौक पर कामिल, जो फहाद का मामा है तथा मचहा का सरफराज को देने के लिए बोला गया। हमदोनों गद्दी चौक से मकतब चौक की ओर अपनी हिरो स्पलेंडर मोटरसाईकिल राजिस्टर नं०-BR-50AG-8776 से जा रहे थे, तो जैसे ही 09:00-09:30 की रात्रि ग्राम हुलास नहर पुल के पास पहुंचे, तो देखे कि दो गाड़ी से उत्पाद विभाग की पुलिस के द्वारा लोगों को रोक कर जांच की जा रही थी। मैं शहसाह उक्त झोला को फेंक कर भाग गया तथा क्यामुल को उत्पाद विभाग की पुलिस को रोक कर जांच करने लगी। कुछ देर बाद क्यामुल द्वारा इन्हें बताया गया कि उत्पाद विभाग की पुलिस ने इन्हें छोड़ दी और ये घर चला आया हूं। फेंका हुआ झोला उत्पाद विभाग की पुलिस उठाया कि नहीं उठाया, इन्हें नहीं पता। उक्त फेंके हुए झोले के बारे में पूछने पर बताये कि अगर उत्पाद विभाग की पुलिस ने झोला नहीं उठाया होगा तो झोला सड़क के उत्तर जंगल में गिरा होगा। इसके निशानदेही पर उक्त स्थल पर समय करीब-01:30 बजे पहुंचा तथा पुलिस पार्टी द्वारा खोजबीन करने लगा, तो नहर पुल के सड़क से सटे पश्चिम की ओर झाड़ी में एक नीला रंग का पुराना झोला मिला, जिसे खोलने पर पांच अर्द्धनिर्मित लोहे का देशी पिस्टल बरामद हुआ तथा एक लोहे का देशी कट्टा, जिसके बट पर लकड़ी लगा हुआ तथा दो जिंदा कारतूस तथा दोनों के पंटी पर ठोकर लगा हुआ और दो अर्द्धनिर्मित लोहे का देशी पिस्टल में बैरल लगा हुआ था। स्वतंत्र साक्षी का खोजबीन किया गया, लेकिन अधिक रात्रि होने के कारण कोई स्वतंत्र साक्षी उपस्थित नहीं मिले, तो साथ के सशस्त्र बल के दो सिपाही को स्वतंत्र साक्षी मानते हुए उनके समक्ष उक्त बरामद अवैध अर्द्धनिर्मित लोहे का देशी पिस्टल, लोहे का देशी कट्टा तथा दो जिंदा कारतूस और एक हीरो स्पलेंडर मोटरसाईकिल तथा दोनों पकड़ाये व्यक्ति के पास से दोनों का एंड्रॉयड मोबाईल सेट बरामद कर विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया तथा जब्ती सूची की एक प्रति पकड़ाये दोनों लड़का को हस्तगत कर गिरफ्तारी का कारण बताते हुए विधिवत गिरफ्तार किया तथा इसकी सूचना परिजनों को दिया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक मो० रजी अहमद अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं और खारिज करने की मांग करते हैं।

उभय पक्ष का बहस सुना। अभिलेख एवं कांड दैनिकी का परिशीलन किया। परिशीलन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त पर सह-अभियुक्तों के साथ अवैध हथियार की तस्करी करते हुए तथा अवैध हथियार जिला मुंगेर से मंगवाकर बेचने का आरोप है। कांड दैनिकी की कंडिका-3 में प्रस्तुती सह जब्ती सूची का उल्लेख है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त के कब्जे से कोई वस्तु बरामद नहीं हुई है। कंडिका-5 में सूचक पु०अ०नि० अमित कुमार का पुनः बयान अंकित है, जिसमें इन्होंने प्राथमिकी में वर्णित तथ्य का समर्थन किया है। कांड दैनिकी की कंडिका-6, 35, 36, एवं 37 में साक्षीगण

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-अष्टम्, सुपौल।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-758/2026

राघोपुर थाना कांड संख्या-149/2026

का बयान अंकित है, जिसमें इन्होंने अपने-अपने बयान में प्राथमिकी में वर्णित तथ्य को समर्थन किया है। कंडिका-7 एवं 8 में तलाशी एवं जब्ती साक्षी का बयान अंकित है, इन्होंने भी अपने बयान में प्राथमिकी में वर्णित घटना का समर्थन किया है। प्रस्तुत वाद में जब्ती सूची के साक्षी पुलिस वाले हैं तथा उक्त वाद में कोई भी स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य नहीं लिया गया है। प्रस्तुत वाद में आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से एक आपराधिक इतिहास जी0आर0-226/2023 अंतर्गत धारा-341, 323, 506, 34 भा0दं0वि0 न्यायालय में लंबित है, इसके अतिरिक्त आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त के कब्जे से कोई गोली/कारतूस तथा देशी कट्टा जब्त नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त के कब्जे से भी जब्त की गई कोई वस्तु भी बरामद नहीं हुई है। प्रस्तुत वाद में अनुसंधान प्रायः पूर्ण होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता द्वारा पूछताछ करने के लिए अभियुक्त आवेदक को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक अभियुक्त यथा **मो0 कामिल उर्फ कामिल खान** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है तथा आवेदक अभियुक्त की गिरफ्तारी या आत्म-समर्पण की स्थिति में इस आदेश के प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0-10,000/-रुपये के व्यक्तिगत एवं समान राशि के दो जमानतदारों के साथ बंध-पत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-482(2) के शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि आवेदक अभियुक्त का एक जमानतदार नजदीकी संबंधी होंगे एवं वाद के विचारण में सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं करने पर विचारण न्यायालय आवेदक का बंध-पत्र खंडित करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

लेखापित

Sd/-

(तेज प्रताप सिंह)

अपर सत्र न्यायाधीश-अष्टम्, सुपौल।